



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



E.mail

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8वीं/यू.पी./06/34/2018/एफ.सी. 1/0

दिनांक: 12-11-17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन, बाघू भवन,
लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/OTHERS/13881/2015

विषय : अलीगढ़-समघाट मार्ग (एगडी0आर0-105) किमी0 15.150 की बांसी पट्टी पर ग्राम- उखलाना के खसरा संख्या-1470 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:-विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ का पत्रांक- 619/14-2-2017-800(56)/2017, दिनांक- 03.08.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आशय है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

- 1- Area calculation sheet has not been provided.
- 2- Area calculation should be as per guidelines of Ministry of Road Transport Highway (MoRTH).
- 3- CD of Kml file is not provided with the proposal.
- 4- Kml file uploaded and Geo referenced map do not match.
- 5- Original Toposheet of proposed land and CA land have not been given with the proposal.

भवदीय,

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ० प्र०।
3. डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, सेक्टर-3, नोएडा, उ० प्र०।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली।

(के० के० तिवारी)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2973/अलीगढ़/13881/2015, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 24, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय को तीन प्रति में उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, अलीगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना व सुसंगत अभिलेख निर्धारित प्रारूप में अपने वन संरक्षक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि०, ए-5, से०-3, नोएडा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।